(नियम 28)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

राज (राज सरावगी) बनाम सरपंच ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था आदि

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–121/2025 (GCMS No. 2025/309)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। दिनांक 29.08.2025 को बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी व धारा 111, 128 एलआरएक्ट व 151 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया अप्रार्थी–01 बिना पैमाईश जहां से रास्ता चल रहा है उसकी बजाय प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा चक 14 एसपीडी के पत्थर नं. 187/23 के किला नं. 1–10–11–20–21 में 40–50 फुट पूर्व की ओर निकलवाना चाहता है। प्रार्थीया के खातेदारी रकबा में से नया रास्ता निकालकर रोड़ निकालना चाहता है। जबकि सही रास्ता प्रार्थीया के खातेदारी रकबा के पश्चिमी दिशा में चिपता चला आ रहा है। यह रास्ता पत्थर लाईन पर है तथा प्रार्थीया की अपनी खातेदारी रकबा के कि0न0 10–11 में पानी की डिग्गी बनी हुई है। अप्रार्थी रास्ता की आड में प्रार्थीया की डिग्गी को तुड़वाना चाहता है। यदि पत्थरलाईन पूर्व की ओर खिसकती है तो यह पुरा ब्लॉक ही प्रभावित होगा। प्रार्थीया के रकबा की सही पैमाईश एक मुस्तकिल पोईंट से करवाई जानी आवश्यक है। सरपंच ने पहले भी प्रार्थीया के साथ जालसाजी करके पत्थर नं. 1–10–11–20–21 में रास्ता मंजुर की सहमति दर्शाकर रास्ता मंजुर करवा लिया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सैटलमेन्ट टीम से प्रार्थी के रकबा की व रास्ता की सही पैमाईश करवाकर उक्त रास्ता की सही भौतिक स्थिति की रिर्पोट ली जावे। वकील अप्रार्थी–01 ने विरोध दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर मनन किया। उक्त हस्तगत प्रकरण स्थगन से संबंधित है। रास्ता अर्सादराज से चल रहा है यह स्वयं प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र अंकित किया है। यदि सही नही चल रहा था तो वह पूर्व में भी पैमाईश करवा सकती थी। किन्तु ऐसा उन्होने नही किया। इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। इसके पश्चात् प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 पर बहस सुनी गई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने बताया कि प्रार्थीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एसएचपीडी की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 41/38 के पत्थर नं. 187/23 के किला नं. 1/2 में 0.228 हैक्टर व किला नं. 2 ता/0.759 हैकटर व किला नं. 5/2 में 0.063 हैक्टर व किला नं. 6/2 में 0.190 हैक्टर व किला नं. 7 ता 9 में 0.759 हैक्टर व किला नं. 10/1 में 0.228 हैक्टर, 11/2 में 0.228 हैक्टर, किला नं. 12 ता 19 में 2.024 हैक्टर, किला नं. 20/1 में 0.228 हैक्टर, 21/2 में 0.228 हैक्टर, 22 ता 25 में 1.012 हैक्टर इस प्रकार कुल 5.947 हैक्टर अ0क0 रकबा खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया के नाम पत्थर नं. 187/23 के किला नं. 1–10–11–20–21 के पश्चिमी पासा में यानि किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 20/2, 21/2 प्रत्येक किला में से 0.025–0.025 हैक्टर रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड होकर अर्सा दराज से चला आ रहा है। इसी के चिपता अप्रार्थी संख्या 2 का रकबा पत्थर नं. 187/15 के किला नं. 1 ता 25 में 6.325 हेक्टर अ0क0 खातेदारी रकबा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी रकबा पत्थर नं. 187/23 के किला नं. 11 व 20 में से चल रहे रास्ता के रकबा को छोड़कर, रास्ता से चिपता इन किला के खातेदारी रकबा में पानी की डिग्गी बनाकर फसल बिजान्त कर रहा है। मेरे मुरब्बा के किला नं. 1–10–11–20–21 में से चल रहे रास्ता के रकबा पर बरड़ा रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित है। अप्रार्थी–1 ने पटवार हल्का के साथ रास्ता के निशान प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में बता दिये है। [illegible] कि अपने मूल स्थान से 40–45 फुट पूर्व की ओर है। अप्रार्थी संख्या 1 नया रास्ता	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2025		

निकालना चाहता है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के खातेदारी रकबा में घुसने या दखल देने का अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.05.2025 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या–01 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया द्वारा चक 14 एसपीडी के प0न0 187/23 के किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 20/2, 21/2 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर गै0मु0 रास्ता की भूमि पर जबरन तारबंदी कर रखी है। ग्राम सरदारपुरा खर्था के चक 1 एसआरपीएम को जोड़ने के लिए ग्रेवल सड़क एमएलए कोटे से पास की हुई है। जिसका निर्माण में बाधा पहुंचाने के लिये प्रार्थीया द्वारा झुठा वाद पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थीया को गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नही हे। प्रार्थीया की डिग्गी व सोलर गै0मु0 रास्ता से काफी दुरी पर स्थित है। मात्र सड़क ना बन देने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावें।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एसपीडी के प0न0 187/23 के किला नं. 1/1, 10/2, 11/1, 20/2, 21/2 प्रत्येक में 0.025 हैक्टर गै0मु0 रास्ता अंकित रिकार्ड हैं। उक्त पत्थर के उत्तर दिशा तथा दक्षिण में भी स्थिति मुरब्बा में इन्ही किलाजात में गै0मु0 रास्ता चला आ रहा है। प्रार्थीया ने ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अप्रार्थीगण उनके खातेदारी भूमि में रास्ता निकालना चाहते है। स्वयं प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि रास्ता अर्सा दराज से चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया साबित नही होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद [illegible] हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:04 IST
Reason: SelfAttested

(भरत [illegible] प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)